रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-09092025-266028
CG-MH-E-09092025-266028

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 616] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 8, 2025/भाद्र 17, 1947
No. 616] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 8, 2025/BHADRA 17, 1947

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 8 सितम्बर, 2025

[पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025

फा.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/264—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकेगा।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे:

   परंतु यह कि इन संशोधन विनियमों के विनियम 3 के उप-विनियम (II) और उप-विनियम (VI) राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से 30वें दिन लागू होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 में, -

   I. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (धध) में, उप-खंड (xiii) के बाद निम्नलिखित उप-खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"(xiv) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (कख) में दी हुई परिभाषा के अनुसार अक्रेडिटिड निवेशक, केवल भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 के तहत बोर्ड से रजिस्टर एंजल फंडों में उनके द्वारा किए जाने वाले निवेश के मामले में ही।"

II. विनियम 7 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(ग) उसकी सभी निर्धारित प्रतिभूतियाँ (स्पेसिफाइड सिक्यूरिटीज़), जो -

(i) संप्रवर्तकों (प्रोमोटर),

(ii) संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप),

(iii) विक्रय करने वाले शेयरधारक (शेयरधारकों),

(iv) निदेशकों,

(v) प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति (व्यक्तियों),

(vi) वरिष्ठ प्रबंध-मंडल,

(vii) अर्हित संस्थागत क्रेता (क्रेताओं) [क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल बायर],

(viii) कर्मचारियों,

(ix) जिन शेयरधारकों के पास एसआर इक्विटी शेयर हों उन शेयरधारकों,

(x) वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों (रेग्यूलेटर) के विनियामक (रेग्यूलेटरी) दायरे में आने वाली एंटिटियों,

(xi) ऐसे किन्हीं दूसरे वर्गों के शेयरधारकों (जिनके बारे में बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए),

के पास पड़े हों, वे प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑपर डॉक्यूमेंट) दाखिल किए जाने से पहले ही डीमैट रूप में हों;

स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजनार्थ,-

(i) शब्द "कर्मचारी" का अर्थ होगा - वह व्यक्ति, जो इश्युअर (निर्गमकर्ता) का कर्मचारी हो और जो भारत में ही कार्यरत हो, और साथ ही उसकी होल्डिंग (नियंत्री) कंपनी, सहायक कंपनी (सब्सिडियरी / समनुषंगी) या सहयोगी कंपनी (सहयुक्त / असोसिएट कंपनी) के कर्मचारी;

(ii) "वित्तीय क्षेत्र के विनियामक" का अर्थ होगा - वित्तीय क्षेत्र से जुड़ी सेवाओं या जुड़े लेनदेन (ट्रांजैक्शन्स) को विनियमित (रेग्यूलेट) करने के लिए किसी लागू कानूनी प्रावधान के तहत बना कोई प्राधिकरण (अथॉरिटी) या बॉडी (निकाय), और जिसमें शामिल हैं - भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए), भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड तथा बोर्ड द्वारा बताए जाने वाले ऐसे ही दूसरे प्राधिकरण (अथॉरिटी);"

III. विनियम 8 में, तीसरे परंतुक में, मौजूदा खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(ख) यदि इक्विटी शेयरों या पूर्णतः समादत्त अनिवार्यतः संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (फुली पेड-अप कंपल्सरिली कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) के संपरिवर्तन (कन्वर्ज़न) से मिलने वाले इक्विटी शेयरों का 'विक्रय के लिए प्रस्ताव' (ऑफर फॉर सेल) लाया जा रहा हो, जहाँ ऐसे इक्विटी शेयरों या पूर्णतः समादत्त अनिवार्यतः संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (फुली पेड-अप कंपल्सरिली कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) को किसी उच्च न्यायालय द्वारा मंजूर या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 234 के तहत किसी ट्रायब्युनल (अधिकरण) या केंद्रीय सरकार द्वारा मंजूर किसी स्कीम (जो भी लागू हो) के अनुसार, उस कारोबार (बिजनेस) तथा निवेश की गई पूँजी (कैपिटल) की एवज में अर्जित (अक्वायर) किया गया था,

और वह कारोबार तथा निवेश की गई पूँजी उस स्कीम को मंजूरी मिलने की तारीख से एक वर्ष से अधिक की अवधि से पहले का हो (पहले की हो);"

IV. विनियम 15 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ख) के परंतुक के उप-खंड (ii) में, शब्दों "संप्रवर्तकों द्वारा उस कारबार" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स) द्वारा या आनुकल्पिक निवेश निधियों (ए.आई.एफ.) द्वारा या विदेशी जोखिम पूँजी निवेशकों (फॉरिन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स) द्वारा या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों) द्वारा या लोक वित्तीय संस्थाओं (पब्लिक फाइनेंशियल इन्स्टिट्यूशन्स) द्वारा या भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के यहाँ रजिस्टर (पंजीकृत) बीमा कंपनियों द्वारा या किसी सार्वजनिक शेयरधारक (आम शेयरधारकों की श्रेणी में आने वाले शेयरधारक / पब्लिक शेयरहोल्डर) [जो एकल (व्यक्तिगत) शेयरधारक न हो और जिसके पास इश्यू (निर्गम) के पश्चात् की पूँजी का कम से कम पाँच प्रतिशत हो] द्वारा या किसी एंटिटी [फिर चाहे वह एकल (इंडिविजुअल) हो या न हो और जो संप्रवर्तक (प्रोमोटर) न हो किंतु संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) का हिस्सा हो] द्वारा उस कारोबार (बिजनेस)" आ जाएँगे ।

V. विनियम 105 में, तीसरे परंतुक में, मौजूदा खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(ख) यदि इक्विटी शेयरों या पूर्णतः समादत्त अनिवार्यतः संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (फुली पेड-अप कंपल्सरिली कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) के संपरिवर्तन (कन्वर्ज़न) से मिलने वाले इक्विटी शेयरों का 'विक्रय के लिए प्रस्ताव' (ऑफर फॉर सेल) लाया जा रहा हो, जहाँ ऐसे इक्विटी शेयरों या पूर्णतः समादत्त अनिवार्यतः संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (फुली पेड-अप कंपल्सरिली कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) को किसी उच्च न्यायालय द्वारा मंजूर या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 234 के तहत किसी ट्रायब्युनल (अधिकरण) या केंद्रीय सरकार द्वारा मंजूर किसी स्कीम (जो भी लागू हो) के अनुसार, उस कारोबार (बिजनेस) तथा निवेश की गई पूँजी (कैपिटल) की एवज में अर्जित (अक्वायर) किया गया था, और वह कारोबार तथा निवेश की गई पूँजी उस स्कीम को मंजूरी मिलने की तारीख से एक वर्ष से अधिक की अवधि से पहले का हो (पहले की हो);"

VI. विनियम 230 में, उप-विनियम (1) में, खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(घ) उसकी सभी निर्धारित प्रतिभूतियाँ (स्पेसिफाइड सिक्यूरिटीज़), जो -

(i) संप्रवर्तकों (प्रोमोटर),

(ii) संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप),

(iii) विक्रय करने वाले शेयरधारक (शेयरधारकों),

(iv) निदेशकों,

(v) प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति (व्यक्तियों),

(vi) वरिष्ठ प्रबंध-मंडल,

(vii) अर्हित संस्थागत क्रेता (क्रेताओं) [क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल बायर],

(viii) कर्मचारियों,

(ix) जिन शेयरधारकों के पास एसआर इक्विटी शेयर हों उन शेयरधारकों,

(x) वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों (रेग्यूलेटर) के विनियामक (रेग्यूलेटरी) दायरे में आने वाली एंटिटियों,

(xi) ऐसे किन्हीं दूसरे वर्गों के शेयरधारकों (जिनके बारे में बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए),

के पास पड़े हों, वे प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) दाखिल किए जाने से पहले ही डीमैट रूप में हों;

स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजनार्थ,-

(i) शब्द "कर्मचारी" का अर्थ होगा - वह व्यक्ति, जो इश्युअर (निर्गमकर्ता) का कर्मचारी हो और जो भारत में ही कार्यरत हो, और साथ ही उसकी होल्डिंग (नियंत्री) कंपनी, सहायक कंपनी (सब्सिडियरी / समनुषंगी) या सहयोगी कंपनी (सहयुक्त / असोसिएट कंपनी) के कर्मचारी;

(ii) "वित्तीय क्षेत्र के विनियामक" का अर्थ होगा - वित्तीय क्षेत्र से जुड़ी सेवाओं या जुड़े लेनदेन (ट्रांजैक्शन्स) को विनियमित (रेग्यूलेट) करने के लिए किसी लागू कानूनी प्रावधान के तहत बना कोई प्राधिकरण (अथॉरिटी) या बॉडी (निकाय), और जिसमें शामिल हैं - भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए), भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड तथा बोर्ड द्वारा बताए जाने वाले ऐसे ही दूसरे प्राधिकरण (अथॉरिटी);"

VII. विनियम 237 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ख) के परंतुक के उप-खंड (ii) में, शब्दों "संप्रवर्तकों द्वारा उस कारबार" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स) द्वारा या आनुकल्पिक निवेश निधियों (ए.आई.एफ.) द्वारा या विदेशी जोखिम पूँजी निवेशकों (फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स) द्वारा या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों) द्वारा या लोक वित्तीय संस्थाओं (पब्लिक फाइनेंशियल इन्स्टिट्यूशन्स) द्वारा या भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के यहाँ रजिस्टर (पंजीकृत) बीमा कंपनियों द्वारा या किसी सार्वजनिक शेयरधारक (आम शेयरधारकों की श्रेणी में आने वाले शेयरधारक / पब्लिक शेयरहोल्डर) [जो एकल (व्यक्तिगत) शेयरधारक न हो और जिसके पास इश्यू (निर्गम) के पश्चात् की पूँजी का कम से कम पाँच प्रतिशत हो] द्वारा या किसी एंटिटी [फिर चाहे वह एकल (इंडिविजुअल) हो या न हो और जो संप्रवर्तक (प्रोमोटर) न हो किंतु संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) का हिस्सा हो] द्वारा उस कारोबार (बिजनेस)" आ जाएँगे।

VIII. विनियम 292क में,

क. खंड (ङ) में,

1) उप-खंड (ii) में, शब्दों "संबंधी कानून के तहत रजिस्ट्रीकृत" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "संबंधी कानूनी प्रावधानों के तहत रजिस्टर (रजिस्ट्रीकृत)" आ जाएंगे;

2) मौजूदा उप-खंड (iii) अब उप-खंड (iv) बन जाएगा;

3) मौजूदा उप-खंड (ii) के बाद निम्नलिखित नया उप-खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"(iii) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के तहत उन राज्यों के संबंधित उप-रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर ट्रस्ट (न्यास), जिन्होंने लोक न्यास (पब्लिक ट्रस्ट) के संबंध में कोई कानून न बनाया हो;"

4) मौजूदा उप-खंड (iv) अब उप-खंड (vi) बन जाएगा;

5) इस प्रकार बने उप-खंड (iv) के बाद निम्नलिखित नया उप-खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"(v) संबंधित राज्य के सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत रजिस्टर एक चैरिटेबल सोसाइटी (पूर्त सोसाइटी);"

6) इस प्रकार बने उप-खंड (vi) में,

क. शब्द "बनी" के स्थान पर शब्द "रजिस्टर" आ जाएगा;

ख. शब्द "कंपनी" के बाद तथा चिह्न ";" से पहले चिह्न, शब्द तथा अंक ", जिसमें निरस्त हो चुके कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत रजिस्टर कंपनी भी शामिल है" आ जाएंगे;

7) मौजूदा उप-खंड (v) अब उप-खंड (vii) बन जाएगा;

ख. मौजूदा खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्, -

"(छ) "सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करने वाले संगठन" (समाज को कितना फायदा पहुँचा इसका आकलन करने वाले संगठन) का अर्थ है – ऐसी कोई एंटिटी, जिसने –

(i) ऐसे सोशल इम्पैक्ट असेसर [समाज को कितना फायदा पहुँचाया गया इसका आकलन करने वाले (वालों)] को नियुक्त किया हो, जिसका (जिनका) यह आकलन करने के संबंध में कम से कम तीन वर्षों का पिछला रिकॉर्ड हो कि समाज को कितना फायदा पहुँचाया गया; या

(ii) कम से कम दो ऐसे पूर्णकालिक सोशल इम्पैक्ट असेसर को नियुक्त किया हो, जिनमें से प्रत्येक के पास यह आकलन करने के संबंध में कम से कम तीन वर्षों का अनुभव हो कि समाज को कितना फायदा पहुँचाया गया, और जो "समाज को कितना फायदा पहुँचा इसकी मूल्यांकन रिपोर्ट" (सोशल इम्पैक्ट असेस्मेंट रिपोर्ट) पर हस्ताक्षर करेंगे;"

IX. विनियम 292ङ में, उप-विनियम (2) में,

क. खंड (क) में,-

1) शब्द "गतिविधि" के स्थान शब्द तथा चिह्न "गतिविधि (कार्य आदि)" आ जाएँगे;

2) मौजूदा उप-खंड (xvii) अब उप-खंड (xviii) बन जाएगा;

3) मौजूदा उप-खंड (xvi) के बाद, निम्नलिखित नया उप-खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"(xvii) वह गतिविधि जिसका जिक्र कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII में किया गया है;"

ख. मौजूदा खंड (ख), के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(ख) सामाजिक उद्यम (सोशल एंटरप्राइज़) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित जिन प्राथमिकता क्षेत्रों में विकास काफी कम हुआ हो, उन क्षेत्रों में सामाजिक सुख-सुविधाओं से वंचित लोगों या इलाकों के लिए कार्य करेगा, या फिर उन क्षेत्रों के लिए कार्य करेगा जिनके बारे में बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए;"

ग. खंड (ग) में, शब्दों "सामाजिक उद्यम" से पहले शब्द "लाभ कमाने के उद्देश्य से बने" जोड़े जाएंगे ।

X. विनियम 292च में, उप-विनियम (1) में,

क. पहले परंतुक में,

1) शब्दों तथा चिह्नों "परंतु यह कि 'लाभ न कमाने के उद्देश्य से बने संगठन' के पास यह विकल्प होगा कि" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "परंतु यह कि 'लाभ न कमाने के उद्देश्य से बना संगठन' सोशल स्टॉक एक्सचेंज के यहाँ रजिस्टर होकर," आ जाएंगे ।

2) शब्दों "वह सोशल स्टॉक एक्सचेंज के यहाँ रजिस्टर तो हो जाए पर उसके जरिए पैसा न जुटाए" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "रजिस्टर होने की तारीख से अधिकतम दो वर्षों की अवधि तक या बोर्ड द्वारा बताई गई अवधि तक, पैसा (फंड) नहीं भी जुटा सकेगा" आ जाएंगे ।

ख. मौजूदा पहले परंतुक के बाद, निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह और कि रजिस्टर होने की तारीख से दो वर्षों की अवधि समाप्त होने पर या बोर्ड द्वारा बताई गई अवधि समाप्त होने पर, 'लाभ न कमाने के उद्देश्य से बने संगठन' का कम से कम एक ऐसा लिस्टिड प्रोजेक्ट अवश्य हो जिसके लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज के जरिए पैसा (फंड) जुटाया गया हो, और अगर ऐसा न हुआ तो वह रजिस्टर नहीं रहेगा ।"

XI **अनुसूची-VII में,**

क. मौजूदा खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(2) परिभाषाएँ और संक्षेपाक्षर:

क) आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले या सामान्य शब्द आदि

ख) इश्यू (निर्गम) से संबंधित शब्द

ग) इश्युअर (निर्गमकर्ता) और उद्योग (इंडस्ट्री) से संबंधित शब्द

घ) संक्षेपाक्षर"

ख. मौजूदा खंड (5) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(5) किस-किस वजह से जोखिम हो सकते हैं:

जोखिम:

क) इश्यू से जुड़े भी हो सकते हैं और इश्यू के उद्देश्य से जुड़े भी;

ख) इश्युअर से जुड़े भी हो सकते हैं और उसके कारोबार से जुड़े भी;

उपरोक्त प्रत्येक मामले में (जहाँ कहीं लागू हो), पहले सामने आ चुके ऐसे जोखिमों के बारे में बताया जाए और उनकी वजह से इश्युअर और उसके कारोबार पर पड़ने वाले वित्तीय असर या किसी दूसरे असर (यदि कोई हो), के बारे में जिक्र किया जाए, और साथ ही यह भी बताया जाए कि उस जोखिम को कम करने या खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए गए।"

ग. खंड (7) में, शीर्षक में, शब्दों तथा चिह्नों "आगमों (प्रोसीड्स) का उपयोग" के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न "इश्यू के उद्देश्य और इश्यू से आए पैसों (आगमों / प्रोसीड्स) का इस्तेमाल" आ जाएँगे;

घ. मौजूदा खंड (8) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(8) कैपिटलाइज़ेशन स्टेटमेंट (पूँजीकरण विवरण):

i. कैपिटलाइज़ेशन स्टेटमेंट भी दिया जाए, जिसमें यह बताया जाए कि कुल कितनी रकम का उधार लिया गया है, कुल कितनी इक्विटी है, और साथ ही यह भी बताया जाए कि इश्यू लाए जाने से पहले लिए गए उधार / इक्विटी का अनुपात कितना था और इश्यू लाए जाने के बाद कितना रहा। यह सबसे हाल के वित्तीय वर्ष के समेकित वित्तीय विवरण के आधार पर तैयार किया जाएगा या फिर जहाँ भी लागू हो स्टब अवधि के समाप्त होने पर तैयार किया जाएगा। प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट में जिस तारीख तक की स्थिति के अनुसार वित्तीय जानकारी दी गई थी, उसके बाद से यदि शेयर पूँजी में कोई बदलाव हुआ है, तो ऐसे में एक नोट प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह बताना होगा कि क्या बदलाव हुआ।

ii. कैपिटल स्ट्रक्चर (पूँजी संरचना)

क) अथॉराइज़्ड (प्राधिकृत), इश्यूड (निर्गमित) और सब्स्क्राइब्ड (अभिदत्त) पूँजी, जो मौजूदा (आउटस्टैंडिंग) कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़ (संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों) को उपयुक्त रूप से शामिल करने के बाद निकाली गई हो [यह बताया जाए कि प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) की संख्या कितनी है, उनका विवरण दिया जाए और यह बताया जाए कि अंकित मूल्य (नॉमिनल वैल्यू) कितना है।

ख) पेड-अप कैपिटल (समादत्त पूँजी)

i. इश्यू से पहले

ii. इश्यू के बाद

iii. कन्वर्टिबल इन्स्ट्रूमेंट्स (संपरिवर्तनीय लिखतों) का कन्वर्ज़न (संपरिवर्तन) होने के बाद (यदि लागू हो)

iv. शेयर प्रीमियम खाता [ऑफर (प्रस्ताव) लाए जाने से पहले और बाद में]"

ङ. मौजूदा खंड (10) हट जाएगा;

च. मौजूदा खंड (11) अब खंड (10) बन जाएगा, और जिसके स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(10) इश्युअर की वित्तीय जानकारी:

क्यूआईपी ऑफर लाए जाने से ठीक पहले के तीन लेखापरीक्षित तुलन-पत्रों (ऑडिटेड बैलेंस शीट) के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति की संक्षिप्त जानकारी, जिसके साथ यह जानकारी भी दी जाए:

i. कामकाज से होने वाली कुल आय
ii. कर (टैक्स) की रकम काटे जाने से पहले शुद्ध लाभ / हानि और अप्रत्याशित रूप से होने वाला नफा-नुकसान
iii. कर (टैक्स) की रकम काटे जाने के पश्चात् लाभ / हानि और अप्रत्याशित रूप से होने वाला नफा-नुकसान
iv. इक्विटी शेयर पूँजी
v. आरक्षितियाँ (रिज़र्व) एवं अधिशेष (सरप्लस)
vi. शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ)
vii. आमदनी प्रति शेयर (बेसिक)
viii. आमदनी प्रति शेयर (डाइल्यूटेड)
ix. शुद्ध-मालियत (नेट-वर्थ) पर मुनाफा (रिटर्न)
x. प्रति शेयर एन.ए.वी. (नेट असेट वैल्यू)
xi. कैश फ्लो स्टेटमेंट (नकदी प्रवाह विवरण)"

छ. मौजूदा खंड (12) हट जाएगा;

ज. मौजूदा खंड (13) और (14) अब खंड (11) बन जाएँगे, और जिसके स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(11) कारोबार और उद्योग संबंधी विवरण:

संक्षेप में यह जानकारी दी जाए कि इश्युअर (निर्गमकर्ता) का मुख्य कारोबार क्या है और वह किस उद्योग (इंडस्ट्री) से जुड़ा है ।"

झ. मौजूदा खंड (16) अब खंड (13) बन जाएगा, और जिसके स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(13) निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) और वरिष्ठ प्रबंध-मंडल:

प्रबंधक, प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डाइरेक्टर) और दूसरे निदेशकों [जिनमें नामनिर्देशिती (नॉमिनी) निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक (होल टाइम डाइरेक्टर) शामिल हैं] के नाम, उनकी जन्म तिथि, आयु, निदेशक पहचान संख्या (डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर), उनके पते, उनका व्यवसाय और उनके मौजूदा कार्यकाल के पूरा होने की तारीख।"

ञ. मौजूदा खंड (19) अब खंड (16) बन जाएगा, और जिसके स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(16) चल रहे मुकदमे और कानूनी कार्यवाहियाँ:

1. चल रहे उन मुकदमों और कानूनी कार्यवाहियों की जानकारी संक्षिप्त रूप में सारणी में दी जाए, और साथ ही यह भी उल्लेख किया जाए कि ऐसे विचाराधीन मामलों के संबंध में यदि फैसला पक्ष में न आए तो कितनी देनदारी (जहाँ भी निकाली जा सकती हो) बन सकती है, जिनकी वजह से इश्युअर के कामकाज पर या उसकी वित्तीय स्थिति पर काफी ज्यादा असर पड़ सकने की गुंजाइश हो।

2. वे मामले, जो विचाराधीन हैं:

i. जिनमें इश्युअर के अपराधी होने का आरोप हो ।

ii. जिनमें इश्युअर द्वारा कानूनी प्रावधानों आदि के बड़े उल्लंघन किए गए हों ।

iii. जो ऐसे आर्थिक अपराध से जुड़े हों, जिनके संबंध में इश्युअर के खिलाफ कार्यवाहियाँ शुरू की जा चुकी हों ।

मटिरीयलिटी का निर्धारण करने के उद्देश्य से, निर्धारित सीमा (थ्रेसहोल्ड) उतनी रहेगी, जो निम्नलिखित में से सबसे कम हो–

i. इश्युअर के निदेशक मंडल द्वारा मटिरीयलिटी की जो नीति निर्धारित की गई हो और जिसकी जानकारी (जिसका डिस्क्लोज़र) प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट में भी दी गई हो (किया गया हो), उसके अनुसार;

ii. जिस मुकदमे के संबंध में निकला मूल्य या जिस मुकदमे से पड़ सकने वाले असर के हिसाब से निकला मूल्य:

क) इश्युअर के पिछले लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार टर्नओवर (व्यापारावर्त) के दो प्रतिशत;

ख) इश्युअर के पिछले लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) के दो प्रतिशत [हालाँकि यदि शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) का आंकड़ा ऋणात्मक हो, तो यह प्रावधान लागू नहीं होगा]; या

ग) इश्युअर के पिछले तीन लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार, कर की रकम काटे जाने के बाद हुए नफे-नुकसान के ऐब्सॉल्यूट वैल्यू के औसत के पाँच प्रतिशत,

में से जो भी सबसे कम हो, उससे ज्यादा हो ।"

ट. मौजूदा खंड (15), (17), (18), (20), (21), (22) एवं (23) अब क्रमश: खंड (12), (14), (15), (17), (18), (19) एवं (20) बन जाएँगे ।

ठ. इस प्रकार बने खंड (20) के बाद निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाएगा -

"(21) इश्युअर, जहाँ भी जरूरी समझे, प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट में और भी ब्यौरे दे सकेगा ।"

अमित प्रधान, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./349/2025-26]

<u>पाद टिप्पण</u> :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/31, द्वारा 11 सितम्बर 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 तत्पश्चात् -

(क) 31 दिसम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/57, द्वारा

(ख) 29 मार्च, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/05, द्वारा

(ग) 5 अप्रैल, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2019/08, द्वारा

(घ) 29 जुलाई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/ 2019/29, द्वारा

(ङ) 23 सितम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2019/35, द्वारा

(च) 6 दिसम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2019/42, द्वारा

(छ) 26 दिसम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2019/47, द्वारा

(ज) 1 जनवरी, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2020/01, द्वारा

(झ) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा

(ञ) 8 मई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान) (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/011, द्वारा

(ट) 16 जून, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/17, द्वारा

(ठ) 22 जून, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2020/18, द्वारा

(ड) 1 जुलाई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2020/21, द्वारा

(ढ) 28 सितम्बर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/31, द्वारा

(ण) 8 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन/2021/03, द्वारा

(त) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/18, द्वारा

(थ) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा

(द) 13 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी-एन.आर.ओ./जी.एन. 2021/45, द्वारा

(ध) 26 अक्तूबर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2021/52, द्वारा

(न) 14 जनवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/63, द्वारा

(प) 27 अप्रैल, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/82, द्वारा

(फ) 25 जुलाई, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/ 2022/90, द्वारा

(ब) 21 नवम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2022/107, द्वारा

(भ) 13 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2023/114, द्वारा

(म) 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/121, द्वारा

(य) 23 मई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2023/130, द्वारा

(कक) 21 दिसम्बर, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-आरओ/जीएन/2023/162, द्वारा

(कख) 17 मई, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2024, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.- एन.आर.ओ./जी.एन./ 2024/178, द्वारा

(कग) 8 मार्च, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2025, अधिसूचना फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/233, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 8th September 2025

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2025

F.No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/264– In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, namely: -

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2025.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette:

Provided that sub-regulations II and VI of regulation 3 of these amendment regulations shall come into force on the 30th day from the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, -

I. in regulation 2, in sub-regulation (1), in clause (ss), after sub-clause (xiii), the following sub-clause shall be inserted, namely, -

"(xiv) accredited investors as defined in clause (ab) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, for the limited purpose of their investment in Angel Funds registered with the Board, under the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012.".

II. in regulation 7, in sub-regulation (1), clause (c) shall be substituted with the following clause, namely, -

"(c) all its specified securities held by –

(i) the promoters,

(ii) the promoter group,

(iii) the selling shareholder(s),

(iv) the directors,

(v) the key managerial personnel,

(vi) the senior management,

(vii) qualified institutional buyer(s),

(viii) employees,

(ix) shareholders holding SR equity shares,

(x) entities regulated by Financial Sector Regulators,

(xi) any other categories of shareholders as maybe specified by the Board from time to time,

are in the dematerialised form prior to the filing of the draft offer document;

Explanation – For the purposes of this clause, -

(i) the term "employee" shall mean a person designated as an employee by the issuer, who is exclusively working in India, and employees of its holding, subsidiary or associate company;

(ii) "financial sector regulator" shall mean an authority or body constituted under any law for the time being in force to regulate services or transactions of financial sector and includes the Reserve Bank of India, the Securities and Exchange Board of India, the Insurance Regulatory and Development Authority of India, the Pension Fund Regulatory Authority, the International Financial Services Centre Authority, the Insolvency and Bankruptcy Board of India and such other authorities as may be specified by the Board;".

III. in regulation 8, in the third proviso, the existing clause b) shall be substituted with the following clause, namely, -

"b) if the equity shares or equity shares arising out of conversion of fully paid-up compulsorily convertible securities are offered for sale where such equity shares or fully paid-up compulsorily convertible securities were acquired pursuant to any scheme approved by a High Court or approved by a Tribunal or the Central Government under sections 230 to 234 of the Companies Act, 2013, as applicable, in lieu of business and invested capital, which had been in existence for a period of more than one year prior to approval of such scheme;".

IV. in regulation 15, in sub-regulation (1), in sub-clause (ii) of the proviso to clause (b), after the words "by the promoters" and before the words "in lieu", the words and symbols "or alternative investment funds or foreign venture capital investors or scheduled commercial banks or public financial institutions or insurance companies registered with Insurance Regulatory and Development Authority of India or any non-individual public shareholder holding at least five per cent. of the post-issue capital or any entity (individual or non-individual) forming part of promoter group other than the promoter(s), as applicable" shall be inserted.

V. in regulation 105, in the third proviso, the existing clause b) shall be substituted with the following clause, namely, -

"b) if the equity shares or equity shares arising out of conversion of fully paid-up compulsorily convertible securities are offered for sale where such equity shares or fully paid-up compulsorily convertible securities were acquired pursuant to any scheme approved by a High Court or approved by a Tribunal or the Central Government under sections 230 to 234 of the Companies Act, 2013, as applicable, in lieu of business and invested capital, which had been in existence for a period of more than one year prior to approval of such scheme;".

VI. in regulation 230, in sub-regulation (1), clause (d) shall be substituted with the following clause, namely, -

"(d) all its specified securities held by –

(i) the promoters,

(ii) the promoter group,

(iii) the selling shareholder(s),

(iv) the directors,

(v) the key managerial personnel,

(vi) the senior management,

(vii) qualified institutional buyer(s),

(viii) employees,

(ix) shareholders holding SR equity Shares,

(x) entities regulated by Financial Sector Regulators,

(xi) any other categories of shareholders as maybe specified by the Board from time to time,

are in the dematerialised form prior to the filing of the draft offer document;

Explanation – For the purposes of this clause, -

(i) the term "employee" shall mean a person designated as an employee by the issuer, who is exclusively working in India, and employees of its holding, subsidiary or associate company;

(ii) "financial sector regulator" shall mean an authority or body constituted under any law for the time being in force to regulate services or transactions of financial sector and includes the Reserve Bank of India, the Securities and Exchange Board of India, the Insurance Regulatory and Development Authority of India, the Pension Fund Regulatory Authority, the International Financial Services Centre Authority, the Insolvency and Bankruptcy Board of India and such other authorities as may be specified by the Board;".

VII. in regulation 237, in sub-regulation (1), in sub-clause (ii) of the proviso to clause (b), after the words "by the promoters" and before the words "in lieu", the words and symbols "or alternative investment funds or foreign venture capital investors or scheduled commercial banks or public financial

institutions or insurance companies registered with Insurance Regulatory and Development Authority of India or any non-individual public shareholder holding at least five per cent. of the post-issue capital or any entity (individual or non-individual) forming part of promoter group other than the promoter(s), as applicable" shall be inserted.

VIII. in regulation 292A,

A. in clause (e),

1) in sub-clause (ii), the word "state" shall be substituted with the word "State";

2) the existing sub-clause (iii) shall be renumbered as sub-clause (iv);

3) after the existing sub-clause (ii), the following new sub-clause shall be inserted, namely,-

"**(**iii**)** a Trust registered under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) with the relevant Sub-Registrar in those States that have not enacted the law governing public trust;"

4) the existing sub-clause (iv) shall be renumbered as sub-clause (vi);

5) after the renumbered sub-clause (iv), the following new sub-clause shall be inserted, namely,-

"(v) a charitable society registered under the Societies Registration Act of the relevant State;"

6) in the renumbered sub-clause (vi),

a. the word "incorporated" shall be substituted with the word "registered";

b. after the symbols, words and numerals "Companies Act, 2013 (18 of 2013)" and before the symbol ";", the symbols, words and numerals "including a company registered under section 25 of the repealed Companies Act, 1956" shall be inserted;

7) the existing sub-clause (v) shall be renumbered as sub-clause (vii);

B. the existing clause (g), shall be substituted with the following clause, namely, -

"(g) "Social Impact Assessment Organization" means any entity which has –

(i) employed Social Impact Assessor(s) with a track record of minimum three years in conducting social impact assessment; or

(ii) employed at least two full time Social Impact Assessors, each with a minimum experience of three years, in conducting social impact assessment, who shall sign the social impact assessment report;".

IX. in regulation 292E, in sub-regulation (2),

A. in clause (a), -

1) the words "be indulged" shall be substituted with the word "indulge";

2) the existing sub-clause (xvii) shall be renumbered as sub-clause (xviii);

3) after the existing sub-clause (xvi), the following new sub-clause shall be inserted, namely, -

"(xvii) the activity provided under Schedule VII of the Companies Act, 2013;";

B. the existing clause (b), shall be substituted with the following clause, namely, -

"(b) the Social Enterprise shall target underserved or less privileged population segments or regions recording lower performance in the development priorities of the Central or State Governments, or such other target segments as may be specified by the Board from time to time;";

C. in clause (c), before the words "Social Enterprise" the words "For Profit" shall be inserted.

X. in regulation 292F, in sub-regulation (1),

A. in the first proviso,

1) the words "choose to" shall be omitted;

2) after the words "through it" and before the symbol ".", the words "for a maximum period of two years from the date of registration or such duration as may be specified by the Board" shall inserted;

B. after the existing first proviso, the following new proviso shall be inserted, namely,-

"Provided further that upon expiry of the period of two years from the date of registration or such duration as may be specified by the Board, the Not for Profit Organization shall have at least one listed project for which funds have been raised through the Social Stock Exchange, failing which it shall cease to be registered.".

XI. in schedule VII,

A. the existing clause (2), shall be substituted with the following clause, namely, -

"(2) Definitions and abbreviations:

a) Conventional or general terms

b) Issue related terms

c) Issuer and industry related terms

d) Abbreviations";

B. the existing clause (5), shall be substituted with the following clause, namely, -

"(5) Risk Factors:

Risk factors shall be in relation to the following:

a) Issue and object of the issue;

b) Risks material to the issuer and its business;

In each of the above, where applicable, along with the instances of occurrence of such risk in the past and financial or other impact thereof, if any, on the issuer and its business, the mitigation measures, if any, adopted to reduce or eliminate such risk shall be disclosed.";

C. in clause (7), in the heading, the words "Use of proceeds" shall be substituted with the words "Objects of issue and use of issue proceeds";

D. the exiting clause (8), shall be substituted with the following clause, namely, -

"(8) Capitalization Statement:

i. Capitalisation Statement showing total borrowings, total equity, and the borrowing/ equity ratios before and after the issue is made shall be incorporated. It shall be prepared on the basis of the Consolidated Financial Statement for the latest financial year or when applicable at the end of the stub period. In case of any change in the share capital since the date as of which the financial information has been disclosed in the placement document, a note explaining the nature of the change shall be given.

ii. Capital Structure

a) Authorised, issued and subscribed capital, after suitable incorporation of the outstanding convertible securities (number of securities, description and aggregate nominal value)

b) Paid-up capital

i. before the issue

ii. after the issue

iii. after conversion of convertible instruments (if applicable)

iv. Share premium account (before and after the offer)";

E. the existing clause (10) shall be omitted;

F. the existing clause (11), shall be renumbered as clause (10), and shall be substituted with the following clause, namely, -

"(10) Financial information of the issuer:

A summary of the financial position of the company as in three audited balance sheets immediately preceding the QIP offer including the following items:

i. Total income from operations
ii. Net profit/loss before tax and extraordinary items
iii. Net profit/loss after tax and extraordinary items
iv. Equity share capital
v. Reserves and surplus
vi. Net worth
vii. Basic Earnings per share
viii. Diluted Earnings per share
ix. Return on net worth
x. Net Asset Value per Share
xi. Cash Flow Statements";

G. the existing clause (12) shall be omitted;

H. the existing clauses (13) and (14) shall be renumbered as clause (11), and shall be substituted with the following clause namely,-

"(11) Business and Industry description:

A summary of the primary business of the issuer and the industry in which it operates.";

I. the existing clause (16) shall be renumbered as clause (13), and shall be substituted with the following clause, namely, -

"(13) Board of directors and senior management:

Name, date of birth, age, Director Identification Number, address, occupation and date of expiration of the current term of office of manager, managing director and other directors (including nominee directors and whole-time directors).";

J. the existing clause (19) shall be renumbered as clause (16), and shall be substituted with the following clause, namely,-

"(16) Outstanding litigation and legal proceedings:

1. Summary of outstanding litigation and legal proceedings in a tabular format along with the amount involved, wherever quantifiable for the pending matters which, if they result in an adverse outcome, would materially and adversely affect the operations or the financial position of the issuer.

2. Matters which are pending:

i. Involving criminal liability on the part of the issuer.
ii. Material violations of the statutory regulations by the issuer.
iii. Economic offences where proceedings have been initiated against the issuer.

For the purpose of determining materiality, the threshold shall be lower of threshold criteria mentioned below–

i. As per the policy of materiality defined by the board of directors of the issuer and disclosed in the placement document;

ii. Litigation where the value or expected impact in terms of value, exceeds the lower of the following:

a) Two percent of turnover, as per the last audited consolidated financial statements of the issuer;

b) two percent of net worth, as per the last audited consolidated financial statements of the issuer, except in case the arithmetic value of the net worth is negative; or

c) five percent of the average of absolute value of profit or loss after tax, as per the last three audited consolidated financial statements of the issuer.";

K. the existing clauses (15), (17), (18), (20), (21), (22), and (23) shall be renumbered as clauses (12), (14), (15), (17), (18), (19), and (20) respectively.

L. after the clause (20) so renumbered, the following new clause shall be inserted -

"(21) The issuer may include additional details in the placement document wherever it may deem fit.";

AMIT PRADHAN, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./349/2025-26]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 was published in the Gazette of India on September 11, 2018, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/31.
2. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 was subsequently amended on -
   (a) December 31, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/57.
   (b) March 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/05.
   (c) April 5, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/08.
   (d) July 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/29.
   (e) September 23, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/35.
   (f) December 06, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/42.
   (g) December 26, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/47.
   (h) January 01, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Seventh Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/01.
   (i) April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
   (j) May 08, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/11.
   (k) June 16, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/17.
   (l) June 22, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/18.

(m) July 1, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/21.

(n) September 28, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/31.

(o) January 8, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/03.

(p) May 5, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/18.

(q) August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.

(r) August 13, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/45.

(s) October 26, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/52.

(t) January 14, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2022, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/ 63.

(u) April 27, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/82.

(v) July 25, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/90.

(w) November 21, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/107.

(x) January 13, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/114.

(y) February 7, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121.

(z) May 23, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/130.

(aa) December 21, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/162.

(ab) May 17, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2024 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/178.

(ac) March 8, 2025 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2025 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/233.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.09.09 16:23:17 +05'30'